न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 186/2019

निर्णय दिनांक - 19.2.2021

मनोजकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ढोकवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

-वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी ढोकवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ (चूरू)

- प्रतिवादीगण

1. जलेसिंह
2. शांतिदेवी
3. उषादेवी
4. सन्तोष

पुत्र-पुत्रियाँ बीरबल जाति समस्त जाट निवासी ढोकवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- गौण प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

उपस्थिति:-

1. श्री दलवीरसिंह अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " बलवान शर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1
3. " चन्द्रभान बुडानियाँ अधिवक्ता वास्ते गौण प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act. इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि ख० न० 255 तादादी 0.55 है० ख० न० 25 तादादी 2.91 है० ख० न० 483 तादादी 3.54 है० कुल तादादी 6.89 है० एवं ख० न० 56 तादादी 6.96 है० वाके रोही ढोकवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि वादी व गौण-प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता बीरबल के खातेदारी की कृषि भूमि है यही विवादित

उपखण्ड अधिकारी

कृषि भूमि है। वादी द्वारा वंशवृक्ष पेश किया है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं गौण-प्रतिवादी सं. 1 ता 4 हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं और मिताक्षरा विधि से शासित होते हैं। उक्त कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी मौरूसी जायदाद होने के कारण उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है जिस पर वादी काबिज है एवं उपयोग उपभोग करता आ रहा है जिस कारण उपरोक्त कृषि भूमि की कुल तादाद में से वादी अपने 1/2 हिस्से को राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी सं. 1 बीरबल का विधिक पुत्र है और उक्त कृषि भूमि वादी और प्रतिवादी सं. 1 की एवं गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की दादालाई कृषि भूमि है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने आपस में मीट एण्ड बाऊन्ड पर अलग-अलग कब्जा काश्त कर रहे हैं मगर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं। वादी प्रतिवादी सं. 1 का धर्मज वारिस होने के नाते वादी 1/2 हिस्सा का काश्त है और तब से बिना किसी बाधा के विवादित कृषि भूमि को निरन्तर काश्त करता आ रहा है मगर राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से वादी को काफी हक तलफी हो इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 बीरबल का जायज वारिस होने के आधार पर अ हिस्से की 1/2 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। आदि आदि पेश कर वादगत विवादित कृषि में अपने हिस्से की घोषणा किये जाने का अनुतोष चाह

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नि तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व इकबालदा पेश किया। गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व जव दावा मय काऊन्टर क्लेम पेश किया। वादी द्वारा जवाब काऊन्टर क्लेम पेश किया गया इसलिए जवाब काऊन्टर क्लेम बन्द किया गया। वादी द्वारा प्रतिदा स्वीकार करने में अपनी सहमति जाहिर की। वाद पत्र व प्रतिदावा के अ का कोई खण्डन पेश नहीं किया गया। अतः विवाद्यक विरचित नहीं किये ग

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। व के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अनुसार बीरबल पुत्र सुल 1/2 हिस्से का खातेदार प्रमाणित है एवं विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति हो प्रमाणित है। राजहित प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। अतः वादी मय प्रतिदावा गौण प्रतिवादी सं. 1 ता 4 स्वीकार किये जाने योग

आदेश

विवादित कृषि भूमि ख० न० 244 तादादी 0.44 है० ख०न० 25 तादादी 2.9
ख०न० 483 तादादी 3.54 है० कुल किता 3 कुल तादादी 6.89 है० व कृषि भू
खाता संख्या 175 ख० न० 56 तादादी 6.96 हैक्टर वाके रोही ठोकवा तह
राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी संख्या 1 बीरबल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में
व प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ब हिस्सा बराबर के स
काश्तकार है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इज
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)